राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 69 (i) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राजेन्द्रपालसिंह, तत्कालीन [illegible] को दिनांक 20 मई, 1980 से, 28 अक्टूबर, 1980 तक तथा श्री [illegible] दुबे, निदेशक पर्यटन विभाग को दिनांक 29 अक्टूबर, 1980 से उक्त निगम का प्रबन्धक निदेशक राज्यपाल सहर्ष नियुक्त करते हैं :

(संख्या प. 5(8) जोए।पुर-11/[illegible])

आज्ञा से,

सुधीर [illegible]

विशिष्ट शासन [illegible]

Nahargarh WLS

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 1980

एस. ओ. 660:—वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प. 11014/3/72 एफ. आर. आई./डब्ल्यू. एल. एफ., दिनांक [illegible] सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्दर आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वनस्पति, भू-संरचना, सम्बन्धित-नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची

नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 18-1)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर—वनक्षेत्र खोड़ तालेड़ा व ग्राम कुराड़ की उत्तरी सीमा तक ग्राम [illegible] का वन क्षेत्र समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बरान 1[illegible] व 1091 व ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4, 5, 6 व 7 का भाग।

पूर्व—वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, कुराव, [illegible] आमेर, आबादी आमेर मावटा, आमेर [illegible] रोड व राजस्व क्षेत्र नाहरगढ़।

दक्षिण—वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी [illegible] व पुरानी बस्ती।

पश्चिम—नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग व खोह पापड़ व नना मकानशाह से पश्चिम विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसला, माकेड़ा, सिराधास, बड़ा गांव, माउण्डा व समीपवर्ती वन क्षेत्र बड़ा गांव माउण्डा खसरा नं. 82-85 व 83 के उत्तरी-पश्चिमी कोना व सीमा वनक्षेत्र खोह तालेड़ा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बर 1092-98।

(संख्या एफ. 11 (39) राज-8/80)

राज्यपाल के आदेश से,

एम. एल. सिपानी,

उप शासन सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, दिसम्बर 26, 1980

एस. ओ. 661:—राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 (अधिनियम 31 सन् 1958) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार बैंक आफ बड़ोदा, एम. आई. रोड, जयपुर को उक्त अधिनियम की धारा 10, 11 (1) व 12 (1) के प्रावधानों से दिनांक 20-12-80 से 4-1-1981 तक मुक्त करती है। परन्तु कर्मचारियों द्वारा ओवर टाइम कार्य करने का समय 50 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये एवं कर्मचारियों को नियमानुसार अन्य सुविधाएं दी जाती रहें।

(संख्या एफ. 11) 4/श्रम/73)

जयपुर, दिसम्बर 24, 1980

एस. ओ. 662:—राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 (अधिनियम 31 सन् 1958) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., नेहरू बाजार, जयपुर तथा इसकी जैसलमेर स्थित शाखा को दिनांक 26-12-1980 से [illegible] तक उक्त अधिनियम की धारा 7, 10 व 11 (1) एवं 12 (1) के प्रावधानों से मुक्त करती है : परन्तु कर्मचारियों द्वारा त्रैमासिक में ओवरटाइम कार्य का समय [illegible] से अधिक नहीं होना चाहिये एवं कर्मचारियों को नियमानुसार अन्य सुविधा दी जायें।

(संख्या एफ. 11) (7) श्रम/72)

जयपुर, दिसम्बर 26, 1980

एस. ओ. 663:—राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 (अधिनियम 31 सन् 1958) की धारा 3 की उप-धारा (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार [illegible] बैंक आफ राजस्थान लि., जौहरी बाजार, जयपुर व

अधीक्षक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय जयपुर